इ-साक का ओऊ घोषणा

प्रस्तावना:

"जीवन और जमीन एक ही हैं। हम जमीन के समान हैं। हम जमीन से ही आते हैं। हम जमीन में ही वापस जाते हैं। हम जमीन को अपनी संपत्ति नहीं मान सकते, क्योंकि वास्तव में, हम जमीन के हैं। यदि हम यह समझ पाते हैं तो हमें इसे साझा करने और देने का तरीका पता चल जाएगा। लेकिन अगर हम यह नहीं समझ पाते है तो हम जमीन लेंगे और उसे अपना बनाने के लिए लड़ेंगे।" –

जोनी ओडोचाओ, कारेन समाज के बुजुर्ग

एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत ज्यादा जैविक और सांस्कृतिक विविधता है, जहां हम, आदिवासी(देशज) लोग, हमारे जमीन, इलाका (क्षेत्र),जल और संसाधनों को संरक्षित और प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, हमें भी जलवायु परिवर्तन, जंगलों की कटाई, जमीन के कटाव, मानव अधिकारों के उल्लंघन और तथाकथित विकास से कई चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकारों के लिए यह जरूरी है कि वह हमारे मूल्यों, प्रथाओं, जमीन, इलाका, जल और संसाधनों को मान्यता और सम्मान देते हुए उनका समर्थन करे।
हमारे पूर्वजों और बुजुर्गों के ज्ञान के मार्गदर्शन में, जिन्होंने पुरातन समय से हमारे जल, जमीन, इलाका और संसाधनों की रक्षा की है;

जल,जमीन, इलाका, प्रकृति और हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रबंधन का दायित्व निभाने के लिए प्रतिबद्ध;

आदिवासी लोगों की सामुदायिक एकता, सहायता और साझेदारी के मूल्यों को आगामी पीढ़ियों और अन्य सभी समुदायों में आगे बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित;

तेजी से हो रही जैव विविधता की हानि, अनियंत्रित तौर पर पृथ्वी में बढ़ रही गर्मी और व्यापक प्रदूषण जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को खराब कर रहे है और हमारी संस्कृतियों को खतरे में डाल रहे हैं तथा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों और धरती और पृथ्वी के लिए एक निराशाजनक भविष्य का पूर्वानुमान कर रहे हैं से चिंतित;

E-sak Ka Ou Declaration

"E-sak Ka Ou" is a term used by the Urak Lawoi Indigenous Peoples to refer to the place where their ancestors first settled on Lanta Island, Krabi Province, Thailand. It means the gill of the Manta ray.

यह समझते हुए कि प्रदूषण, जैव विविधता और जलवायु पर संकट की जड़ अन्यायपूर्ण सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं और संबंधों में हैं जो मानव और आदिवासी लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तथा जिसके लिए दोषियों और जिम्मेदार व्यक्तियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए;

यह दोहराते हुए कि हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा आदिवासी लोगों के अधिकारों के संदर्भ में की गई घोषणा (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)) में दिए गए सामूहिक अधिकारों के हम हकदार है, जिन्हे सभी सरकारों को अपने कानूनी और नीतिगत ढांचों में मान्यता देते हुए सम्मान करना चाहिए। सरकारों द्वारा आदिवासी लोगों के अधिकारों को अस्पष्ट और अन्य शब्दावली के माध्यम से कमजोर करने के प्रयास को, जो हमारी पहचान और कानूनी अधिकार को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा;

प्रतिबद्धता के साथ कहते है कि सभी संबंधित नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में आदिवासी लोगों की सक्रिय भागीदारी इंसान और प्रकृति के सहअस्तित्व और कल्याण के लक्ष्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है;

हम, 11 देशों से आए 32 आदिवासी समुदायों, महिलाओं, युवाओं, विकलांग व्यक्तियों और विकास संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 47 प्रतिनिधियों ने 5 से 8 नवंबर 2023 को क्राबी, थाईलैंड में आयोजित आदिवासी लोगों के अधिकार, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन विषय पर आयोजित एशिया के क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन में अपने अधिकारों पर दृढ़ता से दावा करते हुए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आदिवासी लोगों के अधिकारों के संदर्भ में की गई घोषणा (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP)) के संरक्षण के लिए आव्हान किया।

हम अब इस अधिवेशन की घोषणा को हमारे आदिवासी लोगों के सामूहिक पक्ष के रूप में आगे बढ़ाते हैं, जिसका उद्देश्य हमें और पूरे मानवता को प्रभावित करने वाली जरूरी चिंताओं और मुद्दों के लिए साझा समाधान खोजना है।

* वैश्विक प्रतिबद्धता और सम्पूर्ण-समाज दृष्टिकोण का महत्व और तत्कालीक जरूरत:

जैव विविधता और जलवायु पर संकट का निराकरण करने की तत्कालीकता बेहद स्पष्ट है और इसे हमारे समुदायों में दिन प्रतिदिन महसूस किया जा रहा है क्योंकि यह हमारी संस्कृति, जीवन शैली और आदिवासी ज्ञान को सभी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्रों में प्रभावित कर रहे है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता का नुकसान हम में से बहुत के लिए जिंदगी या मौत का सवाल है; हमारे जीने का अधिकार और स्वच्छ, स्वस्थ और सतत चलने वाला पर्यावरण दांव पर है। इस तत्कालीनता को संयुक्त राष्ट्र की प्रक्रियायों में स्पष्टता से रखा गया है, जिसमें जैविक विविधता के लिए सम्मेलन (Convention on Biological Diversity: CBD) और जलवायु परिवर्तन हेतु ढांचा के लिए सम्मेलन (Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) भी शामिल हैं। यह प्रक्रियाएं यह रेखांकित करते हुए कि 'चलता है' की सोच अब विकल्प नहीं है, परिवर्तनकारी बदलाव की मांग करती हैं। यह सम्पूर्ण-सरकार और सम्पूर्ण-समाज के दृष्टिकोण की मांग करती है, जो राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक आवश्यक है।

हम स्वीकार करते हैं और स्वागत करते हैं कि हमारे योगदान, अधिकार, ज्ञान और मूल्यों को वैश्विक प्रक्रियाओं में पहले से बेहतर पहचान और सम्मान मिल रहा है, लेकिन हमें बहुत चिंतित है कि यह राष्ट्रीय प्रक्रियाओं, कानूनों और नीतिगत ढांचाओं में दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत से देशों के राष्ट्रीय कानून अंतरराष्ट्रीय कानूनों और मानकों के खिलाफ हैं, जैसे कि UNDRIP, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति के लिए सम्मेलन (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: CEDAW) सामान्य सिफारिश क्रमांक 39, UNCBD कुनमिंग-मोंट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework KMGBF) और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता।

* राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs)) और राष्ट्र द्वारा निर्धारित योगदानों (Nationally Determined Contributions (NDCs)) में भागीदारी :

सम्पूर्ण-समाज दृष्टिकोण को लागू करने के लिए हम सरकारों से जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के संबंध में निर्णय लेने में आदिवासी लोगों की पूरी और प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने की आग्रह करते हैं, जिसमें आदिवासी महिलाओं, युवाओं और विकलांग व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए। यह विशेष रूप से राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं (National Biodiversity Strategies and Action Plans: NBSAPs) को बनाने या उनकी समीक्षा और अद्यतन करने में महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें कुनमिंग-मोंट्रियल ग्लोबल जैव विविधता ढांचा (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF)) और राष्ट्र द्वारा निर्धारित योगदानों (Nationally Determined Contributions NDCs) के साथ आदिवासी लोगों के लिए एक विशेष स्थान स्थापित करते हुए उनके अनुरूप बनाया जा सके। इन प्रक्रियाओं के सभी चरणों में प्रभावी भागीदारी तत्काल राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की जानी चाहिए तथा जहां यह भागीदारी पहले से मौजूद हैं उन्हे मजबूत किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियों और कार्य योजनाओं(NBSAPs) और राष्ट्र द्वारा निर्धारित योगदानों (NDCs) सिर्फ ऐसे संरक्षण, जलवायु परिवर्तन को कम करने और उसके अनुसार बदलाव लाने हेतु कार्यवाही पर केंद्रित नहीं होना चाहिए जो ऊपर से नीचे की तरफ थोपे गए हो तथा जिनमें कोई मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति (Free, Prior and Informed Consent-- FPIC) नहीं है और तथा जो पहले से हमें प्रभावित कर रही हैं और हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर रही हैं। NBSAPs और NDCs को मानव अधिकारों पर केंद्रित होना चाहिए, जिसमें हमारे सामूहिक स्वामित्व / अवधि के अधिकारों को सुरक्षित करने और हमारी जल, जमीन, प्रदेशों और संसाधनों पर सभी जैव विविधता और जलवायु कार्यवाहियों के लिए मुक्त, पूर्व और सूचित सहमति (Free, Prior and Informed Consent FPIC) सुनिश्चित के लिए एक मजबूत लक्ष्य होना चाहिए। उन्हे पर्यावरण के संरक्षण, सतत उपयोग और पुनर्स्थापना के साथ जलवायु के परिवर्तन को रोकने और उसके अनुकूलन में हमारे योगदान, मूल्य, परंपराओं और दृष्टिकोण को मान्यता देते हुए स्वीकृति भी देनी चाहिए।

* जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता में देशज ज्ञान का महत्त्व

हमारा ज्ञान सभी चीजों को समेटे हुए पूर्णता भरा है और वह हमारी दुनिया में हर जीवित-अजीवित वस्तु के बीच का अन्तर्सम्बन्ध समझकर विकसित हुआ है। जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी हर चीज़ आपस में एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। यह हमारी रिहायश वाले इलाकों का सांस्कृतिक और पर्यावरणीय नक्शा है। हमारे समुदायों के भले-चंगे रहने की, सांस्कृतिक सहनशीलता की ये बुनियाद है और जिसे हमारे यहाँ आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं कि यह दृश्य और अदृश्य के बीच का सुन्दर तारतम्य कायम करती है। उसे ही हम व्यावहारिक तौर पर यह भी कह सकते हैं कि इसी सम्पूर्ण ज्ञान से स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के साथ हमारा रिश्ता बनता है। इस पृथ्वी के और इसमें रहने वाले सभी प्राणियों के भले के लिए, पारिस्थितिकी और पर्यावरण के संरक्षण और संतुलन के लिए, यहाँ तक कि जीवन के लिए भी यह बहुत ज़रूरी है कि हमारे ज्ञान में नया ज्ञान पैदा होता रहे, उसकी हिफाजत से देखभाल ही और वह आगे की पीढ़ी के पास पहुँचता रहे। समुदायों की सामूहिक भलाई और समानता के लिए हमारा ज्ञान बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं और बच्चों में साझा तरह से रहता है। हालाँकि हमारे ज्ञान में गिरावट हो रही है। उसके लिए कुछ बाहरी कारण ज़िम्मेदार हैं, जैसे हमारी शिक्षा पद्धति को बर्बाद कर दिया गया है और हमारी संस्कृति और विश्वदृष्टि में अवमूल्यन और क्षरण हुआ है।

हम ज़िम्मेदार लोगों से और विश्व समुदाय से यह आह्वान करते हैं कि वे हमारी ज्ञान प्रणालियों की पूर्णता की प्रकृति को पहचानें और संयुक्त राष्ट्र संघ की जीव विज्ञान की विविधता वाले सम्मलेन (यूएनसीबीडी), संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन पर हुए फ्रेमवर्क सम्मलेन (यूएनएफसीसीसी), ख़ासतौर पर राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (नेशनल अडाप्टेशन प्लान्स या एनएपीस), राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीतियाँ एवं कार्य योजनाओं (नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान्स या एनबीएसएपीस) और एनडीसीस के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी ज्ञान पद्धतियों की प्रमुख भूमिका को समझें। हम अपने ज्ञान और रिवाज़ों का दस्तावेजीकरण करेंगे और उसे अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाने के प्रयास भी करेंगे ताकि यह ज्ञान संरक्षित और संवर्धित हो। साथ ही, इस कार्य को करने से जो प्रमाण हासिल होंगे, उससे हम अपनी ज्ञान प्रणालियों को राष्ट्रीय स्तर पर नीति विकास की संरचना बनाने में बढ़ावा दे सकेंगे। यह हासिल करने के लिए हमारे यानि आदिवासी और मूलनिवासी लोगों के संगठनों और समुदायों को पर्याप्त संसाधनों का सीधे आवंटन होना चाहिए।

* मूलनिवासी और आदिवासी लोगों के अधिकारों को संरक्षण में मान्यता देना

जीवविज्ञानी विविधता पर हुए सम्मेलन के तहत अपनाये गए "कुन्मिंग-मोंट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क" के लक्ष्यों की सूची में तीसरा ही लक्ष्य यह है कि सन 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत ज़मीन,क्षेत्र, पानी, समंदर आदि इलाक़े प्रभावी तौर पर इस तरह संरक्षित किए जाएँगे जिसमें मूलनिवासियों और आदिवासियों के अधिकारों की और उनके क्षेत्रों की रक्षा हो सके. इसके लिए संरक्षण और अन्य कदम उठाये जाएँगे। हालाँकि संरक्षित क्षेत्रों और संरक्षण के प्रति राज्य के नियम-कानून अभी भी औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त नहीं हुए हैं और वे हम आदिवासियों और मूल निवासियों के संरक्षण के रिवाज़ों को या ज़मीन,क्षेत्रों, पानी, और अन्य संसाधनों पर हमारे सामुदायिक साझा हक़ को कुछ नहीं समझते हैं। इस सोच के कारण वे हमारे अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, हमें विस्थापित करते हैं और जो आदिवासी और मूलनिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हैं, उन्हें अपराधी घोषित कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जैव विविधता के जो सकारात्मक असर मिलने चाहिए, वे नहीं मिलते।

हम सरकारों, जैव विविधता संरक्षण करने वाले ग़ैर सरकारी संगठनों, और अन्य उपयुक्त संस्थानों से ये आह्वान करते हैं कि वे जैव विविधता के संरक्षण सम्बन्धी अपनी नीतियों और कानूनों में सुधार करें और अपनी योजनाओं को फिर से इस तरह बनाएँ कि उनमें मूलनिवासियों और आदिवासियों के क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्रों और अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण पहल (Other Effective area-based conservation measures या OECMs) की दोनों श्रेणियों से अलग तीसरी ही श्रेणी के क्षेत्र में रखा जाए ताकि तीसरा लक्ष्य हासिल किया जा सके। सरकारों को, वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों को भेदभाव भरी नीतियों को बदलना चाहिए, आदिवासियों और मूल निवासियों पर अपराधी का ठप्पा लगाने और उनकी हत्याएँ करने पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। इन सभी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के संरक्षण के नाम पर जो परियोजनाएँ, कार्यक्रम या अन्य जो भी गतिविधियाँ चलें, उनमें किसी भी तरह से मानवाधिकारों का हनन न हो। इन परियोजनाओं व कार्यक्रमों से हमारे मूल निवासी और आदिवासी लोगों को अपने क्षेत्रों को संरक्षित करने और जैव विविधता बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए न कि उनका ख़ुद का शोषण और दमन होना चाहिए।

* कार्बन बाज़ार और जैव विविधता उधार

हमारी ज़मीनों, जंगलों, पहाड़ों और नदियों, तालाबों, समुद्रों या अन्य हवा-पानी के स्रोतों पर किसी भी तरह का कार्बन क्रेडिट या जैव विविधता के क्रेडिट्स वाला कोई भी कार्यक्रम हमारी स्वतंत्र सहमति के बिना शुरू नहीं होना चाहिए। हमारी सहमति लेने से पहले हमें परियोजना या कार्यक्रम की पूरी और सही जानकारी देनी चाहिए ताकि हमारी सहमति या सहमति तर्कसम्मत हो। हम लोगों को कार्बन के बाज़ार में होने वाले सभी सौदों और गतिविधियों की पूरी और पारदर्शी जानकारी होनी चाहिए। कार्बन क्रेडिट के ये सौदे हमसे कैसे सम्बंधित हैं, उनका हमारे परंपरागत संस्थानों पर और हमारी दुनिया क्या असर होगा, जल-जंगल-ज़मीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर हमारे अधिकार इससे कैसे प्रभावित होंगे, हमारी संस्कृति पर इसका कैसा असर होगा, आदि-आदि, सब कुछ हमें पता होना चाहिए। हर परियोजना और कार्यक्रम का सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और मानवाधिकारों प्रभाव आकलन (इम्पैक्ट असेसमेंट) होना चाहिए और वह भी मूल निवासी और आदिवासी लोगों की पूरी भागीदारी के साथ ताकि वे जो निर्णय सामूहिक तौर पर लें वह पूरी तरह सही तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित हो और निर्णय लेते समय वे नफ़े-नुक्सान में अपने हिस्से का अंदाज़ा लगा सकें।

कार्बन और जैव विविधता के बाज़ार प्रदूषण फैलाने वाले लोगों या कंपनियों की इस मुख्य बात की तरफ़ से ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकते हैं कि कार्बन उत्सर्जन को ही कम किया जाना चाहिए। प्रदूषण फैलाने वालों की कार्बन उत्सर्जन को कम करने में ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी है क्योंकि उनकी ही बेलगाम नीतियों की वजह से आज जलवायु परिवर्तन के परिणाम हम सभी को भुगतने पड़ रहे हैं। कार्बन क्रेडिट जैसे उपाय जो कार्बन उसर्जन को बराबर करने की दावा करता है वह समस्या का सही समाधान नहीं हैं। ग्रीनहाउस गैसों में वहीं कमी लाना जहाँ से वे निकलती हैं, वही सही समाधान है। कार्बन और जैव विविधता के बाज़ारों जैसे प्रकृति को भी बेचने-खरीदने की सोच रखने वाले उपायों से कहीं आगे के टिकाऊ उपाय समुदाय आधारित तौर-तरीकों और मानकों में निकलेंगे क्योंकि उनमें सबके भले की भावना निहित है, सिर्फ़ अपने स्वार्थ की नहीं।

* नियोजन, अमल, निरीक्षण और रिपोर्टिंग में आदिवासी और मूलनिवासी लोगों की भूमिका
हम सरकारों से और अन्य उपयुक्त एजेंसियों से माँग करते हैं कि योजना बनाने, उस योजना को अमल में लाने, उसका निरीक्षण करने और उसकी जलवायु परिवर्तन और जैव-विविधता पर रिपोर्ट बनाने में मूल निवासी और आदिवासी समुदायों की पूरी, प्रभावी और बराबरी की भागीदारी हो। इन समुदायों की परियोजना के प्रत्येक चरण में महिलाओं, युवाओं, और किसी भी वजह से अक्षम (डिसएबल) लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो।

सरकारों को जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता सम्बन्धी किसी भी गतिविधि की योजना बनाते समय उसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें आवश्यक तौर पर सपोर्ट तौरतरीके(मैकेनिज्म) यानि सहारा या मदद देने वाले प्रावधान भी शामिल हों (मसलन तकनीकि और वित्तीय मदद)। संयुक्त राष्ट्र संघ का आदिवासी और मूल निवासी लोगों के अधिकारों पर घोषणापत्र (यूएनडीआरआईपी) के भीतर रेखांकित संकल्पों के अनुसार और स्वतंत्र, पूर्व सूचना के आधार पर सहमति (फ्री, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट या एफपीआईसी जैसे सुरक्षा प्रावधान और फंड्स हर कार्यक्रम के साथ होने चाहिए।
सरकारों को जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के हर स्तर पर समुदाय आधारित निरीक्षण और सूचना तंत्र (कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग एंड इनफार्मेशन सिस्टम्स) की अहमियत को समझना चाहिए और उन्हें समर्थन देना चाहिए, जिसमें सीधे फण्ड देकर भी उन्हें समर्थन दिया जाए। विशेषकर स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय रिपोर्टों में हमारी ज्ञान प्रणालियों, संकेतकों और यंत्रों के महत्त्व को रेखांकित करना और वैज्ञानिक एवं तकनीकि के नये प्रयोगों को दर्ज करना भी सरकारों को करना चाहिए।

* नुकसान (लॉस)और क्षति(डैमेज):

जलवायु परिवर्तन के कारण देशज(आदिवासी) लोग गंभीर आर्थिक और गैर-आर्थिक हानि और क्षति का अनुभव करते हैं, जबकि ग्लोबल वार्मिंग (पृथ्वी का तापमान बढना) और जैव विविधता को नष्ट करने में उनका योगदान न्यूनतम होता है। सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हानि और क्षति कोष की अपनी देशज लोगों की नीति, देशज लोगों का सलाहकार समूह और फंड की प्रस्तावित प्रशासनिक संरचना के निर्णय लेने वाले निकाय में देशज (आदिवासी) समुदाय के प्रतिनिधि हों। इसके अलावा, मानवाधिकार सिद्धांतों और मानकों को नुकसान और क्षति कोष तंत्र और इसके संचालन के केंद्र में होना आवश्यक है। इसके अलावा, देशज लोगों को होने वाली गैर-आर्थिक हानि और क्षति , 'नुकसान और क्षति कोष' सरंचना का एक हिस्सा होना चाहिए और इसे स्वयं देशज लोगों के द्वारा परिभाषित किया जाना चाहिए।

* देशज समुदाय, गैर-देशज व्यक्तियों -हितधारकों (नॉन-इंडिजेनस एक्टर्स) और राज्य संस्थाओं का क्षमता निर्माण:

मूलनिवासी-आदिवासी लोगों, विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं, युवा, और विकलांग व्यक्तियों की क्षमता निर्माण होना चाहिए, ताकि हम जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन (UNCBD) और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) प्रक्रियाओं में हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, साथ ही, पक्षों और अन्य संबंधित हितधारकों की क्षमता को बढ़ाना भी आवश्यक है ताकि वे आदिवासी लोगों के साथ गहरा जुड़ाव बना सकें, और सभी जलवायु और जैव विविधता कार्रवाईयों के क्रियान्वयन में संबंधित समुदायों से मुक्त -पूर्व सूचना आधार पर-सहमति (FPIC) की मांग कर सके।

* वित्त और संसाधन का जुगाड़ (मोबाइलाइजेशन)

आदिवासी लोगों की भूमि, क्षेत्र, जल, और संसाधनों में विश्व के बची हुई जैव विविधता का बहुत बड़ा हिस्सा है, और UNCBD और UNFCCC के उद्देश्यों में बड़ा योगदान करते हैं। यहां तक कि हम पृथ्वी का तापमान बढ़ना(ग्लोबल वार्मिंग) एवं जैव-विविधता को क्षति पहुंचाने में सबसे कम योगदान करने वाले होने के बावजूद, हम सबसे अधिक प्रभावित तथा जलवायु और जैव विविधता संकट का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित हैं।
देशज लोगों का भूमि, क्षेत्र, और जल आदि में किसी भी वित्त का निवेश तथा कार्यक्रमों का आधार मानवाधिकार दृष्टिकोण से होना चाहिए, जो देशज लोगों का मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रसंघ का घोषणा (UNDRIP) का पूरा पालन करते हुए हमारे स्वामित्व, नेतृत्व, स्वतंत्रता, और स्व-शासन को सुनिश्चित करता हो।

वित्तीय योजनाओं में विश्व जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड (GBFF), हरित जलवायु फंड (GCF), और नुकसान और हानि फंड जैसे, विशेष रूप से आदिवासी लोगों के लिए समर्पित सुविधाओं को अलग कार्यक्रमों के साथ होना चाहिए, जिसमें आदिवासी महिलाओं, युवा, और भिन्नक्षम व्यक्तियों को शामिल किया जाए। हम विभिन्न राष्ट्रों से, खासकर विकसित राष्ट्रों से, आदिवासी लोगों को सीधे उनके लिए सुलभ, महत्वाकांक्षी, और विश्वसनीय वित्त प्रदान करने की मांग करते हैं। जलवायु और जैव विविधता सवन्धित वित्त को ऋण या कर्ज़ के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक-पर्यावरणीय जवाबदेही और ऐतिहासिक जिम्मेदारी का हिस्सा के रूप में मोबाइलाइज किया जाना चाहिए।

Mr. Lakpa Nuri Sherpa (nuri@aippnet.org)
Ms. Pirawan Wongnithisathaporn (pirawan@aippnet.org)
Mr. Prem Singh Tharu (prem@aippnet.org)